

राजस्थान सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~करोली~~
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ~~क्र. नं. 70/17~~

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~सायपुर~~ व भूअ.नि. ~~रथुवडी~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~करोली~~ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~दहमेली~~ तहसील ~~करोली~~ व जिला ~~करोली~~ की जमाबन्दी सम्वत् ~~2073-74~~ में खाता संख्या ~~8~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	दहमेली	ख.नं. 328	लकरकी	लकरकी पुत्र हरपसाद शेष कलक्टर

2273
18.12.17

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:-

क्रमांक:- 20

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार ~~करोली~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत